

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प0 4(4)साप्र/6/2008

जयपुर, दिनांक 1.4.2013

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.5.2012 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि 17,000/- को बढ़ाकर 20,000/- रुपये (अक्षरे बीस हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप में वर्तमान में देय रुपये 3,000/- को बढ़ाकर रुपये 4,000/- (अक्षरे चार हजार रुपये मात्र) कुल 24,000/- प्रतिमाह दिनांक 1.4.2013 से किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा निदेशानुसार प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई0 डी0 क्रमांक 161300536 दिनांक 25.3.2013 पर दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि राजस्थान के राज्य से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को बढी हुई पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था करवाने के लिए।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2/बजट डिविजन) विभाग
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
10. नोडल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर प्रति अपलोड करवाने बाबत।
11. अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव